FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत........................ मुकाम........................

रामदुलारी बनाम सरकार

किस्म मुकदमा........................ नं०........................ सन्........................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/2/25	वकील अपी० उप० रेस्पो० की ओर से कोई हाजिर नहीं। वकील अपी० को वाज० प्रा० पत्र पर सुना गया। वकील अपी० का कथन है कि मूल अपील में दिनांक 17/3/15 को अंतिम बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश दि० 23/3/15 नियत की गयी। दि० 23/3/15 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया न ही आ० पेशी से अवगत कराया गया। एवं प्रार्थना पत्र पेश करने से 11 दिन पूर्व प्रार्थिया ने अपने अधि० से संपर्क किया तो पता चला कि न्यायालय से अपील दि० 12/5/15 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी है। प्रार्थिया अपने मुकदमें को पूरे मन से लड़ रही थी। अतः प्रार्थिया के हितों को ध्यान में रखकर वाज० प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर मूल अपील का निस्तारण गुण-अवगुण पर किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस अपीलांट पर मनन किया। चूंकि मूल अपील का निस्तारण गुण-अवगुण पर होना ही उचित है अतः वाज० प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर मूल अपील नंबर पर ली जाती है। मूल अपील पुनः	

ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामदुलारी / मामला	नम्बर व त अहकाम हुक्म की त में जारी
	दर्ज रजिस्टर की जावें। वा० प्रा० पत्र फैसल शुमार की जाकर नंबर से कम की जावें। वा० प्रा० पत्र मूल अपील के साथ शुज रहे। [signature] भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)	